



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2018/ आश्विन 19, 1940

No. 736]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सं. 74/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1027(अ).—जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।

अतः अब, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, खंड XVI में, अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8517 61 00 और 8517 69 90 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 12 अक्तूबर, 2018 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/374/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

No. 74/2018—Customs

G.S.R. 1027(E).—WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on goods, falling under Chapter 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely: -

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Section XVI, in Chapter 85, against tariff items 8517 61 00 and 8517 69 90, for the entry in column (4), the entry “20%” shall be substituted.

2. This notification shall be effective from the 12th October, 2018.

[F.No. 354/374/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2018

संख्या 75/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1028(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“20	8517 62 90	निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं, यथा:- (क) रिस्ट विद्येबल डिवाइसेस् (सामान्यतः जिन्हें स्मार्ट बॉचेस् के नाम से जाना जाता है (ख) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट एक्यूपमेंट (ग) पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच (पीओटीपी या पीओटीएस) के एक या एक से अधिक संयोजन (घ) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) प्रोडक्ट्स (ङ) आईपी रेडियोस्	10%	-
21	8517 69 90	निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं, यथा:- (क) सॉफ्ट स्विचस् या बॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (बीओआईपी) उपकरण जैसे कि बीओआईपी फोनस्, मीडिया गेट वेज, गेटवे कंट्रोलर और सेशन बॉर्डर कंट्रोलर्स (ख) कैरियर इथरनेट स्विचस्, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोट्स (पीटीएन) प्रोडक्ट्स, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) प्रोडक्ट्स (ग) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) और लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स	10%	-”